न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 04/2023

श्रीमती रणदीप कौर बेवा कंवल नैन सिंह, जाति जट सिख,आयु 80 वर्ष निवासी 44 विनोबा मार्किट, दुर्गा मन्दिर केपास, श्रीगंगानगर

बनाम

श्रीमती गुरजिन्द्र कौर पत्नी स्व. कुलजीत सिंह जाति जटसिख आयु करीब 52 वर्ष हाल निवासी शिव नंद इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, गांव उसमान खेड़ा, तहसील अबोहर जि

ला फाजिल्का (पंजाब)

31.07.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थिया रणदीप कौर स्वयं उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थिया रणदीप कौर द्धारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत भरण–पोषण अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.04.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश के द्वारा भरण पोषण की धारा 23 के अन्तर्गत अपीलार्थिया रणदीप कौर का प्रार्थना पत्र पोषण नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) ''सन्तान [illegible] पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु [illegible] नहीं है।**
>
> **2(ख) ''भरण [illegible] कपड़े निवास और चिकित्सीय [illegible] और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 18:00:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(कं) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** और अप्रार्थी गुरजिन्द्र कौर पुत्रवधु है इसलिए **अपीलार्थिया अप्रार्थी से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

प्रार्थिया जिस सम्पत्ति की मांग कर रही है वह प्रार्थिया के मृतक पुत्र श्री कुलजीत सिंह ने दिनांक 03.03.2019 को अपनी पत्नी श्रीमती गुरजिन्द्र कौर के नाम से करवाई है अर्थात विवादग्रस्त सम्पत्ति की वसीयत उसकी पुत्रवधु के नाम है और पुत्रवधु से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संतान की परिभाषा में नहीं आती है **इसलिए अपीलार्थिया को सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो या अधिकार प्रभावित होता है तो वे सविल न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलर्थिया रणदीप कौर द्वारा पुत्रवधु के विरूद्ध प्रस्तुत यह **अपील सुनवाई के लिए ग्रहण करने के योग्य न होने के कारण खारिज की जाती है।** आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थिया को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 18:00:11 IST
Reason: SelfAttested